झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 14.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	विदित है कि संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के पत्रांक-ई-11004/98-4981(s) पटना दिनांक- 29.06.99 एवं अभियंता प्रमुख लोक निर्माण विभाग (पथ) राँची, झारखण्ड के का0आ0सं0-रा0य0-1/कार्य0क्षे0-03/98-08 राँची दिनांक- 29.05.2001के आधार पर झारखण्ड राज्य के सभी कार्य प्रमंडलों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राजस्व जिला के अनुसार किया गया है ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यो के देख-रेख में सुविधा हो सके। उल्लेखनीय है कि राँची जिला के सोनाहातू, तमाड़ एवं बुण्डू प्रखंडों के साथ राहे प्रखंड का आंशिक क्षेत्र का राजस्व जिला राँची है जबकि इन प्रखंडों का कार्य ग्रामीण कार्य प्रमंडल राँची से नहीं होकर ग्रामीण कार्य प्रमंडल खूँटी से कराया जा रहा है, जो प्रासंगिक पत्रों के आलोक में उचित एवं व्यवहारिक नहीं है।	ग्रामीण कार्य

01.	02.	03.	04.
		अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में राँची जिला के सोनाहातू, तमाड़ एवं बुण्डू प्रखंडों के साथ राहे प्रखण्ड के आंशिक क्षेत्र का कार्य ग्रामीण कार्य प्रमंडल, राँची के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
02-	**श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0**	"निर्धारित नीति में निहित शर्त्तो के अनुसार खासमहाल भूमि को फीहोल्ड कराकर भूमि की रजिस्ट्री/निबंधन कराई जा सकती है।" तदनुसार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार के विभागीय संकल्प सं0-3586/रा0, राँची, दिनांक- 23.02.2019 द्वारा साहेबगंज खासमहाल भूमि को फीहोल्ड करने से संबंधित संकल्प में निहित तथ्यों के अनुसार खासमहाल भूमि को फीहोल्ड कराकर भूमि की रजिस्ट्री/निबंधन कराये जाने का आदेश निर्गत की गई। स्थानीय भूधारकों द्वारा विभागीय संकल्प के आलोक में किए गए आवेदन के बाद भी निर्धारित संकल्प के अनुसार उन आवेदनों का निस्तारण नहीं किया गया और न ही आदिनांक उक्त संकल्प के आलोक में इन खासमहाल को सरलीकृत करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकी है। संबंधित संकल्प के आदेश पारित होने के बावजूद आदिनांक साहेबगंज साखमहाल की प्रकृति को परिवर्त्तित कर यहाँ वर्षो से निर्वासित लोगों का रजिस्ट्री/निबंधन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं करायी जा सकी है, जिस कारण स्थानीय शहरी क्षेत्र में निवास करने वालों को कठिनाईयाँ हो रही है। वर्णित प्रकृति की भूमि से पूर्णतः खासमहाल समाप्त होने से सरकार के राजस्व में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी। साथ ही वर्णित प्रकृति भूमि वाले जमीन पर स्वीकृत 605 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत् लाभुकों के आज भी आवास निर्माण नहीं हो पाई है, उनका निर्माण हो पाएगा।"	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए साहेबगंज खासमहाल भूमि को फीहोल्ड कराते हुए जमीन की रजिस्ट्री/निबंधनदर में कटौती कर सरलीकृत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कराई जाए तथा वर्णित प्रकृति वाले भूमि पर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के लाभुकों के आवास निर्माण हेतु आदेश निर्गत की जाय जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03–	**श्री मथुरा प्रसाद महतो** **स0वि0स0** **श्री सुखराम उराँव** **स0वि0स0** **श्री मंगल कालिन्दी** **स0वि0स0**	झारखण्ड राज्य की राजधानी राँची में मौजा–बड़ा घाघरा, डोरण्डा, थाना अरगोड़ा, अंचल–राँची के जो अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित है जहाँ ''छोटानागपुर टेन्युर्स एक्ट 1869 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–16 के अनुसार आदिवासियों की धरोहर भूईहरी पहनई/महतो, नौकराना, गैरही भूमियों जो कि रूढ़ीवादी परंपरा के संचालन हेतु प्रदत्त है और जिसे किसी भी हालात में किसी भी व्यक्ति द्वारा/को निर्माण या बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, को संरक्षित और सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार तथा छोटानागपुर प्रमण्डल के संबंधित पदाधिकारियों को इसका प्रतिवेदन समर्पित है परन्तु परिणाम शून्य है। उक्त अधिनियम को धता बताकर पदाधिकारियों द्वारा सर्वे में उल्लेखित गैरग्रामीण गैरआदिवासियों द्वारा गैर–कानूनी और अवैध तरीके से दलालों की मिलीभगत एवं से दखल कब्जा किया जा रहा है। अतः आसन के माध्यम से मैं ''छोटानागपुर टेन्युर्स एक्ट 1869 एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–16 के अनुसार आदिवासियों के रीति–रिवाज पर आधारित कानूनन, समाजिक व धार्मिक चलन, आदिवासी/जनजाति समुदायों के परंपारिक प्रबंधन को अक्षरशः संचालन करने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
04-	**श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0 डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0**	हजारीबाग जिलान्तर्गत पदमा प्रखण्ड में लोटिया जलाशय का निर्माण वर्ष 1982 में किया गया है। जिससे जिहू, अडार, बन्दरबेला, कन्डादाग, पदमा, दोनईखुर्द, सरैया, बिहारी, चम्पाडीह, करमा, तिलिर, नावाडीहखुर्द, सूजी, तिलेडीह, परतन, सूर्यपुरा तथा रोमी गाँव में सिंचाई होता है। लोटिया जलाशय के निर्माण के बाद आज तक गहरीगरण नहीं हुआ है तथा डैम के दोनों गेट खराब होने के कारण पानी बर्बाद हो जाता है। अतः आपके माध्यम से सरकार को ध्यानाकर्षण कर डैम का गहरीकरण तथा दोनों गेट को ठीक करने हेतु निवेदन करता हूँ जिससे किसान खुशहाल हो सके।	**जल संसाधन**
05-	**श्रीमती पुष्पा देवी स0वि0स0 श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0**	पलामू जिलान्तर्गत पड़वा प्रखण्ड के **कटौतिया माईन्स में हिडांल्को कम्पनी** द्वारा कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है जिसमें नियम के मुताबिक रैयतो को जमीन का मुआवजा सही पैमाने पर देकर ही खनन कार्य किया जाना तय हुआ था लेकिन वर्त्तमान में हिडांल्को कम्पनी द्वारा रैयतों को **डरा धमा कर** औने-पौने दाम में जमीन अधिग्रहण कर खनन कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ कम्पनी द्वारा सुरक्षा मानकों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है जिससे पिछले दिनों एक व्यक्ति की मौत भी हो गई जिसका अभी तक मुआवजा राशि भी कम्पनी द्वारा अभी तक भुगतान नही किया गया है। **साथ ही सरकार द्वारा जारी गाडलाईन के अनुरूप निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन में भागीदारी का भी ख्याल नहीं रखा गया है।** कम्पनी द्वारा डरा-धमका कर जमीन अधिग्रहण कर खनन कार्य किये जाने से रैयतों में काफी रोष व्याप्त है।	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
		अतः मैं पड़वा प्रखण्ड के कठौतिया मांईस के रैयतों को जमीन का उचित मुआवजा राशि का भुगतान एवं स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत नियोजन करने के पश्चात ही एवं सुरक्षा मानकों के मापदण्ड को पुरा करने के बाद ही खनन कार्य कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 14 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-...1160.../वि0 स0, राँची, दिनांक-13/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-...1160.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 13/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

13.03.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

13/03/23